समाचार
WANI NEWS
ख़बर जो करें असर !

छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड के बाद सख्त हुई सरकार, सीक्रेट मीटिंग मे बंने नए नियम, अब कोडीन युक्त दवाओं की बिक्री पर पैनी नजर

Published on 13 Oct 2025 | By Samachar Wani Correspondent

छिंदवाड़ा में सामने आए कफ सिरप कांड ने पूरे मध्य प्रदेश प्रशासन को हिला दिया है। इस मामले के बाद राज्य सरकार ने **कफ सिरप और कोडीन युक्त दवाओं** की बिक्री, स्टॉक और निगरानी से जुड़ी नीति में बड़ा बदलाव किया है। स्वास्थ्य मंत्री **राजेंद्र शुक्ला** ने इसे "**गंभीर अपराध और जन स्वास्थ्य से खिलवाड़**" करार दिया है। इसके बाद मंत्रालय स्तर पर एक **सीक्रेट हाई-लेवल मीटिंग** बुलाई गई, जिसमें कई सख्त फैसले लिए गए।

इस बैठक का मकसद स्पष्ट था — **राज्य मे कोडीन युक्त कफ सिरप और नशीली दवाओं की अनियंत्रित बिक्री पर लगाम लगाना।** मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसके लिए नियमों में तत्काल बदलाव किए जाएं और निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाए।

छिंदवाड़ा कांड ने खोली दवा नियंत्रण प्रणाली की पोल

हाल ही में छिंदवाड़ा जिले में बड़ी मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप के दुरुपयोग का मामला सामने आया था। जांच में पता चला कि कुछ फार्मासिस्ट और मेडिकल स्टोर मालिक **कफ सिरप को नशीले पदार्थ की तरह बेच रहे थे**, और इसके जरिए अवैध मुनाफा कमा रहे थे।
कई युवाओं को इस कफ सिरप की लत लग चुकी थी। स्थानीय पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में छापेमारी की तो दर्जनों बोतलें और रिकॉर्ड जब्त किए गए।

स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि यह सिर्फ एक स्थानीय मामला नहीं, बल्कि **पूरे राज्य के लिए चेतावनी** है। उन्होंने साफ कहा कि जो भी अधिकारी या फार्मासिस्ट इसमें लिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ **एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई** की जाएगी।

सीक्रेट मीटिंग मे बंने नए नियम

राज्य सरकार ने इस मामले के बाद तत्काल एक **गोपनीय बैठक** बुलाई। इसमें स्वास्थ्य विभाग, ड्रग कंट्रोलर, पुलिस विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें प्रमुख हैं —

1. **कोडीन युक्त कफ सिरप की बिक्री पर रियल-टाइम ट्रैकिंग सिस्टम लागू होगा।**
   अब हर बिक्री का रिकॉर्ड ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा, ताकि सरकार यह जान सके कि किस दुकान पर कितनी मात्रा में सिरप बेचा गया।

2. **लाइसेसं नवीनीकरण की प्रक्रिया होगी सख्त।**
   जिन मेडिकल स्टोर्स ने पिछले एक साल में कोडीन युक्त दवाओं की अत्यधिक बिक्री की है, उनके लाइसेंस की विशेष समीक्षा की जाएगी।
3. **स्टॉक रिपोर्ट हर हफ्ते देनी होगी।**
   अब फार्मासिस्टों को हर हफ्ते अपने कोडीन आधारित स्टॉक की रिपोर्ट स्थानीय ड्रग इंस्पेक्टर को देनी होगी।
4. **राज्यभर मे विशेष निगरानी सेल बनेगा।**
   यह सेल किसी भी जिले में संदेहास्पद गतिविधि की जानकारी मिलने पर तुरंत जांच करेगी।
5. **ऑनलाइन दवा बिक्री (E-Pharmacy) पर भी नियंत्रण।**
   मंत्री ने स्पष्ट किया कि कोडीन युक्त सिरप की ऑनलाइन बिक्री पर **पूरी तरह प्रतिबंध** रहेगा।

राज्य सरकार ने मानी अपनी कमियां

बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह सच है कि ड्रग मॉनिटरिंग सिस्टम में कई खामियां हैं, जिनका दुरुपयोग किया गया। कई जिलों में ड्रग इंस्पेक्टरों की संख्या कम होने से निरीक्षण समय पर नहीं हो पाता।
राजेंद्र शुक्ला ने स्वीकार किया,
"**हमारी प्राथमिकता अब यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी लापरवाही फिर न हो। हर अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।**"

उन्होंने यह भी कहा कि "**कफ सिरप का दुरुपयोग युवाओं के भविष्य को नष्ट कर रहा है**" और इसे रोकने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं।

दोषी कंपनियों पर गिरेगी गाज

छिंदवाड़ा कांड में जिस दवा कंपनी का नाम सामने आया, उसकी जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक रिपोर्ट में सामने आया कि कंपनी ने **उत्पादन और वितरण के दौरान कई प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया।**
स्वास्थ्य विभाग ने कंपनी के खिलाफ **कानूनी कार्रवाई की सिफारिश** की है। साथ ही, कंपनी के उन कर्मचारियों पर भी मामला दर्ज करने की तैयारी है जो बिक्री प्रक्रिया में सीधे शामिल थे।

राज्य सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि यदि जरूरत पड़ी तो **दवा निर्माता कंपनियों के लिए अलग मॉनिटरिंग गाइडलाइन** बनाई जाएगी। इससे उत्पादन से लेकर वितरण तक हर चरण पर निगरानी रखी जा सकेगी।

जनता और डॉक्टरों की भूमिका भी अहम

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कोडीन जैसी दवाओं का उपयोग केवल चिकित्सकीय सलाह पर ही किया जाना चाहिए।
एक सरकारी डॉक्टर ने कहा,
"**समस्या यह है कि कई लोग बिना डॉक्टर की सलाह के कफ सिरप खरीदते है, जिससे लत लग जाती है। ऐसे मामलों को रोकने के लिए जनता को जागरूक करना भी जरूरी है।**"

राज्य सरकार जल्द ही **जागरूकता अभियान** चलाने जा रही है, जिसमें स्कूली छात्रों और युवाओं को बताया जाएगा कि कफ सिरप जैसे नशीले पदार्थों का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक है।

भविष्य की योजना : सख्त निगरानी और डिजिटल सिस्टम

राज्य सरकार अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को **डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने** की तैयारी में है। इससे हर जिले में कौन-सी दवा कितनी मात्रा में आ रही है और कहां बिक रही है, इसकी जानकारी रियल टाइम में उपलब्ध होगी।
साथ ही, **आर्टिफिशियल इंटेलिजेसं आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम** लाने की योजना है, जो बिक्री के असामान्य पैटर्न को स्वतः पहचान लेगा।

DISCLAIMER: THE VIEWS/CONTENTS EXPRESSED/PRESENTED HEREIN, WITHIN THIS ADVERTORIAL AND PROMOTIONAL FEATURE ARE THE SOLE AND EXCLUSIVE RESPONSIBILITY OF INDIVIDUAL CLIENTS/EXPERT/THEIR AUTHORISED REPRESENTATIVE/PUBLISHER, TO WHICH EFFECT, PUBLICATION HOUSE/ITS REPRESENTATIVES/AFFILIATES ARE NOT RESPONSIBLE/LIABLE WHATSOEVER.